न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00427 (120/2012) 223 आरटीएक्ट

1. किशनो पुत्री हरनामसिंह पत्नी अमरसिह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. मखन }
2. मुंशी } पिसरान हरनामसिंह जाति बावरी निवासीयान खारांखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. बिशनी पुत्री श्री हरनाम सिह पत्नी श्री अमरसिह जाति बावरी निवासी करतारसिंह की ढाणी ममेरा रोड़ ऐलनाबाद तहसील ऐलना बाद जिला सिरसा (हरियाणा)
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील नोहर। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2001 व अन्तिम डिक्री 27.07.2001 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया प्र. सं. 195/95 बअनवानी बिशनी बनाम वीरो

श्री खुशप्रीतसिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—25.07.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट पेश किया। वादपत्र में वर्णित भूमि को संयुक्त खाता की भूमि होने का कथन करते हुए खाता विभाजन करते हुए वादीया को उसके हिस्सा की कृषि भूमि का पृथक से आधिपत्य प्रदान करने व रकमराज अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। वाद में प्रतिवादी सं0 3 ने काउण्टर क्लेम पेश किया। वाद एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसके अनुसार वाद वादीया एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किये है। अपीलाण्ट ने इससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रारम्भिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री गलत विधि विरूद्ध, न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं। वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 ने मिलकर दुर्भिसंधि करके प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के पिता हरनामसिह को कस्टोडियन विभाग से गांव खाराखेड़ा में चक 1 सीडीआर में 6.072 है. भूमि अलॉट हुई थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 ने मिलीभगत करके अपीलाण्टा को

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

वारिस न दिखाते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवा ली है। अपीलांण्टा को जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्टा का हक व हिस्सा है और वह एक आवश्यक पक्षकार थी। पुत्री होने के बावजूद वाद में पक्षकार नहीं बनाने के कारण एफआईआर दर्ज भी करवाई गई जिसमें मक्खन सिह ने किशनो को अपनी बहन माना है जिसके आधार पर न्यायायल ने दोषी माना है। अपीलाण्टा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं हुआ। निर्णय का ज्ञान होते ही बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत की है। डिले कन्डोन की जावे। धारारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जो हरनामसिंह की आवंटित हुई थी। अपीलाण्टा हरनामसिंह की पुत्री है। हरनामसिंह की पुत्री होने के कारण वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए अपीलाण्टा का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. अपीलाण्टा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान न होना स्वाभाविक है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।
8. अधीनस्थ न्यायालय में वादी प्रतिवादी संख्या 3 बिशनी द्वारा खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 मुंशिसिंह द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद और काउण्टर क्लेम दोनों डिक्री किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना–पत्र दिया था। पक्षकाराने ने अपीलाण्टा किशनो को हरनामसिंह की पुत्री होना स्वीकार किया है किन्तु वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। यदि अपीलाण्टा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तो भी उसे पुत्री होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति की गई है कि उसे हरनामसिंह के वारिस के रूप में अंकित नहीं किया। जब उसने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के जरिये पक्षकार बनाना चाहा तो नहीं बनाया गया। इस सन्दर्भ में रेस्पोडेण्टगण के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज करवाई गई जिसमें मक्खन सिह ने किशनो को अपनी बहन माना है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार बनाते तो उसे अपना पक्ष साक्ष्य के आधार पर साबित करने करने का अवसर मिलता। ऐसी स्थिति में अपीलाण्टा चूंकि हरनामसिंह की पुत्री होने के कारण वह एक आवश्यक पक्षकार है। उसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये ये हैं जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वह अपीलाण्ट को एवं सभी आवश्यक पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः गुणागवुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2001 व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.07.2001 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निद्रेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट एवं सभी आवश्यक पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः गुणागवुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। दौराने सुनवाई वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बेचान नहीं किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official